

राजस्थान विधान सभा
ग्यारहवां सत्र
कार्य-सूची
शुक्रवार, दिनांक 07 सितम्बर, 2018
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनार्थ

(I) श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री, कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या :एफ.7(1)डीओपी/ए-II/2017, दिनांक 21.12.2017, जिसके द्वारा राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017 की धारा-3 के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये वार्षिक अनुज्ञात संख्या के संबंध में अति पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण प्रवेश की वार्षिक अनुज्ञात संख्या का एक प्रतिशत किया गया है सदन की मेज पर रखेंगे ।

(II) श्री अमराराम, राजस्व राज्यमंत्री, राजस्व विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्थ सदन की मेज पर रखेंगे :-

राजस्व विभाग

1. अधिसूचना संख्या:एफ.1(58)राज-6/2017/01 दिनांक 2.1.2018, जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है ;
2. अधिसूचना संख्या:एफ.1(58)राज-6/2017/02 दिनांक 2.1.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनाथ संपरिवर्तन) नियम, 2007में संशोधन किया गया है ;
3. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/03 दिनांक 1.2.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं को अधिसूचित किया गया है ;
4. अधिसूचना संख्या:एफ.1(3)राज-6/2011पार्ट/04 दिनांक 5.2.2018, जिसके द्वारा राजस्थान राईट टू फेयर कंपनशेसन एण्ड ट्रांसपरेसी इन लैण्ड एक्वीजिशन, रिहैबीलीटेशन एण्ड रिसैटलमेंट रूल्स, 2016 में संशोधन किया गया है ;
5. अधिसूचना संख्या:एफ.6(9)राज-6/96पार्ट-6/05 दिनांक 9.2.2018, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.6(9)राज-6/96पार्ट/39 दिनांक 8.12.2010 में संशोधन किया गया है ;

6. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/6 दिनांक 20.2.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील रतनगढ़, जिला-चुरू को अधिसूचित किया गया है ;
7. अधिसूचना संख्या:एफ.11(4)राज-6/14/पार्ट/07 दिनांक 21.2.2018, जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है ;
8. अधिसूचना संख्या:एफ.6(6)राज-6/92/पार्ट/8 दिनांक 6.3.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनाथ संपरिवर्तन) नियम, 2007में संशोधन किया गया है ;
9. अधिसूचना संख्या:एफ.9(25)राज-6/2014/9 दिनांक 7.3.2018, जिसके द्वारा आबादी विकास के लिये भूमि आरक्षित करने की शक्तियाँ उपखण्ड अधिकारी को दी गई हैं ;
10. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/10 दिनांक 12.3.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील बगोरा, जिला जालोर को अधिसूचित किया गया है ;
11. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/11 दिनांक 12.3.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील समारी, जिला उदयपुर को अधिसूचित किया गया है ;
12. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/12 दिनांक 12.3.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील सिवाना, जिला बाड़मेर को अधिसूचित किया गया है ;
13. अधिसूचना संख्या:एफ.9(18)राज-6/18/13 दिनांक 15.3.2018, जिसके द्वारा नक्शों के डिजिटिजेशन करने की शक्तियाँ कलक्टर को प्रदान की गई हैं ;
14. अधिसूचना संख्या:एफ.9(16)राज-6/18/14 दिनांक 22.3.2018, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.5(109)राज-बी/60 दिनांक 20.7.1963 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
15. अधिसूचना संख्या:एफ.9(16)राज-6/18/15 दिनांक 22.3.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (निष्क्रांत कृषि भूमि का स्थायी आवंटन) नियम, 1963 में संशोधन किया गया है ;
16. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/16 दिनांक 20.3.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील फतेहपुर,, जिला सीकर को अधिसूचित किया गया है ;

17. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/17 दिनांक 26.3.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील खण्डेला, जिला सीकर को अधिसूचित किया गया है ;
18. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/18 दिनांक 26.3.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील भरतपुर, जिला भरतपुर को अधिसूचित किया गया है ;
19. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/19 दिनांक 26.3.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील बसवा, जिला दौसा को अधिसूचित किया गया है ;
20. अधिसूचना संख्या:एफ.9(45)राज-6/16/20 दिनांक 27.3.2018, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.6(12)राज-6/99पार्ट/8 दिनांक 30.7.2014 में संशोधन किया गया है ;
21. अधिसूचना संख्या:एफ.9(30)राज-6/2017/21 दिनांक 22.3.2018, जिसके द्वारा तहसील बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा के समस्त ग्रामों में पुनःसर्वेक्षण/तरमीम का कार्य प्रारम्भ किया गया है ;
22. अधिसूचना संख्या:एफ.9(28)राज-6/2018/22 दिनांक 3.4.2018, जिसके द्वारा काश्तकारों को खातेदारी एवं गैर-खातेदारी की सिंचित कृषि भूमि पर देय लगान से मुक्त किया गया है ;
23. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/23 दिनांक 4.4.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील असनावर, जिला झालावाड़ को अधिसूचित किया गया है ;
24. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/24 दिनांक 4.4.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं को अधिसूचित किया गया है ;
25. अधिसूचना संख्या:एफ.9(12)राज-6/18/25 दिनांक 6.4.2018, जिसके द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वसूली योग्य रकम को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली के लिये कलक्टर की शक्तियां अतिरिक्त आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को प्रदान की गई है ;
26. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/26 दिनांक 11.4.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील आमेट, जिला राजसमन्द को अधिसूचित किया गया है ;

27. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/27 दिनांक 11.4.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील पुष्कर, जिला अजमेर को अधिसूचित किया गया है ;
28. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/28 दिनांक 12.4.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील गंगापुरसिटी, जिला सवाई माधोपुर को अधिसूचित किया गया है ;
29. अधिसूचना संख्या:एफ.6(1)राज-6/2014पार्ट-1/29 दिनांक 12.4.2018, जिसके द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार, 2018 में ग्राम पंचायत की शक्तियां ग्राम पंचायतों के स्थान पर राजस्थान तहसील सेवा के अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है ;
30. अधिसूचना संख्या:एफ.6(1)राज-6/14/पार्ट-1/30 दिनांक 12.4.2018, जिसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों को सहायक कलक्टर द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने बाबत अधिकृत किया गया है ;
31. अधिसूचना संख्या:एफ.6(25)राज-6/2015/31 दिनांक 24.4.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व आवंटन नियम, 1963 के अन्तर्गत राजकीय विभागों को भूमि आवंटन हेतु विहित प्राधिकारियों को भूमि आवंटन के संबंध में प्राधिकृत किया गया है ;
32. अधिसूचना संख्या:एफ.9(15)राज-6/2005/पार्ट/32 दिनांक 24.4.2018, जिसके द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार, 2018 के दौरान जिला कलक्टर द्वारा अनुमोदित शक्तियों का प्रयोग उपखण्ड अधिकारी द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के भीतर करने के संबंध में अधिकृत किया गया है ;
33. अधिसूचना संख्या:एफ.1(43)राज-6/16/33 दिनांक 24.4.2018, जिसके द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग के परीवीक्षाधीन अधिकारियों को सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पद पर पदस्थापित किया गया है ;
34. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/34 दिनांक 30.4.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर को अधिसूचित किया गया है ;
35. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/35 दिनांक 30.4.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर को अधिसूचित किया गया है ;

36. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/36 दिनांक 7.5.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील हिण्डौन, जिला करौली को अधिसूचित किया गया है ;
37. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/37 दिनांक 7.5.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील अलवर, जिला अलवर को अधिसूचित किया गया है ;
38. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/38 दिनांक 10.5.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील नावां, जिला नागौर को अधिसूचित किया गया है ;
39. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/39 दिनांक 10.5.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील जैसलमेर, जिला जैसलमेर को अधिसूचित किया गया है ;
40. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/40 दिनांक 10.5.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़ को अधिसूचित किया गया है ;
41. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/41 दिनांक 14.5.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है ;
42. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/42 दिनांक 16.5.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू को अधिसूचित किया गया है ;
43. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/43 दिनांक 22.5.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील राजगढ़, जिला अलवर को अधिसूचित किया गया है ;
44. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/44 दिनांक 23.5.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ को अधिसूचित किया गया है ;
45. अधिसूचना संख्या:एफ.9(8)राज-6/17/45 दिनांक 4.6.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के आवंटन) नियम, 1970 में संशोधन किया गया है ;

46. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/46 दिनांक 5.6.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII भूमि के तहसील गांगडतलाई, जिला बांसवाड़ा को अधिसूचित किया गया है ;
47. अधिसूचना संख्या:एफ.9(27)राज-6/2015/47 दिनांक 6.6.2018, जिसके द्वारा तहसील-तिजारा, जिला-अलवर में गठित सलाहकार समिति में सदस्य का मनोनयन किया गया है ;
48. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/48 दिनांक 12.6.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII भूमि के तहसील परबतसर, जिला नागौर को अधिसूचित किया गया है ;
49. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/49 दिनांक 12.6.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII भूमि के तहसील कुचामनसिटी, जिला नागौर को अधिसूचित किया गया है ;
50. अधिसूचना संख्या:एफ.6(1)राज-6/2014/पार्ट-1/50 दिनांक 13.6.2018, जिसके द्वारा लोक अदालत अभियान के दौरान भू-अभिलेख अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग समस्त तहसीलदार द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में किये जाने के संबंध में अधिकृत किया गया है ;
51. अधिसूचना संख्या:एफ.2(1)राज-6/18/51 दिनांक 22.6.2018, जिसके द्वारा ग्रामदानी ग्राम रिदवा, थईयात, आकल एवं भागु का गांव जिला जैसलमेर में स्थित भूमियों के प्रबन्धन से ग्राम सभा को निर्निहित किया गया है ;
52. अधिसूचना संख्या:एफ.1(43)राज-6/16/52 दिनांक 25.6.2018, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.1(43)राज-6/16/33 दिनांक 24.4.2018 में संशोधन किया गया है ;
53. अधिसूचना संख्या:एफ.9(48)राज-6/18/53 दिनांक 9.7.2018, जिसके द्वारा कतिपय क्षेत्रों को लवण उत्पादन हेतु लवण क्षेत्र घोषित किया गया है ;
54. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/54 दिनांक 10.7.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा को अधिसूचित किया गया है ;
55. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/2006/पार्ट/55 दिनांक 19.7.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है ;
56. अधिसूचना संख्या:एफ.6(25)राज-6/2014/56 दिनांक 19.7.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अनाधिवासित सरकारी कृषि भूमियों के आवंटन हेतु आवंटन प्राधिकारी को अधिकृत किया गया है ;

57. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/57 दिनांक 19.7.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील गानोडा, जिला बांसवाड़ा को अधिसूचित किया गया है ;
58. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/58 दिनांक 20.7.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील गलियाकोट, जिला डूंगरपुर को अधिसूचित किया गया है ;
59. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/59 दिनांक 20.7.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील सावर, जिला अजमेर को अधिसूचित किया गया है ;
60. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/60 दिनांक 9.8.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील गोविन्दगढ़, जिला अलवर को अधिसूचित किया गया है ;
61. अधिसूचना संख्या:एफ.11(4)राज-6/14पार्ट/59-ए दिनांक 10.8.2018, जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है ;
62. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/61 दिनांक 14.8.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील बारां, जिला बारां को अधिसूचित किया गया है ;
63. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/62 दिनांक 14.8.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील नदबई, जिला भरतपुर को अधिसूचित किया गया है ;
64. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/63 दिनांक 14.8.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील सरमथुरा, जिला धौलपुर को अधिसूचित किया गया है ;
65. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/64 दिनांक 14.8.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील सीकर, जिला सीकर को अधिसूचित किया गया है ;
66. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/65 दिनांक 14.8.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू को अधिसूचित किया गया है ;

67. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/66 दिनांक 14.8.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर को अधिसूचित किया गया है ; एवं
68. अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/67 दिनांक 24.8.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील टाटगढ़, जिला अजमेर को अधिसूचित किया गया है ।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री युनूस खान, परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-33(4) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की पृथक संपरीक्षा रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे ।

3. वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2018-2019 (प्रथम संकलन) पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2018-2019 (प्रथम संकलन) मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण हेतु प्रस्तुत की जाएंगी ।

4. विधायी कार्य

(क) विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018

- (I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-
- राजस्थान विनियोग(संख्या-4)
विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-16)
- "वित्तीय वर्ष 2018-2019 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक ।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी ।
- (III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।
- (IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(ख) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2018

- (I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा
निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

राजस्थान स्टाम्प (संशोधन)
अध्यादेश, 2018 (2018 का
अध्यादेश संख्यांक- 3) के संबंध में
परिनियत संकल्प

"यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा
दिनांक 13 जून, 2018 को प्रख्यापित
राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) अध्यादेश,
2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक- 3)
को अस्वीकार करता है।"

- (II) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी
कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान स्टाम्प (संशोधन)
विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-18)

"राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 को और
संशोधित करने के लिए विधेयक।"

**(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये
जायेंगे)**

- (III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक
को पारित किया जाय।

(II) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2018

- (I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा
निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर
(संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018
का अध्यादेश संख्यांक- 2) के संबंध
में परिनियत संकल्प

"यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा
दिनांक 13 जून, 2018 को प्रख्यापित
राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन)
अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश
संख्यांक- 2) को अस्वीकार करता है।"

- (II) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी
कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर
(संशोधन) विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-20)

"राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,
2003 को और संशोधित करने के लिए
विधेयक।"

**(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये
जायेंगे)**

- (III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक
को पारित किया जाय।

(III) राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018

- (I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
- राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्या-28)
- "राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(IV) जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड विधेयक, 2018

- (I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिणियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
- जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक- 4) के संबंध में परिणियत संकल्प
- "यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 15 जून, 2018 को प्रख्यापित जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक- 4) को अस्वीकार करता है ।"

- (II) श्री श्रीचंद कृपलानी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
- जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्या-24)
- "जयपुर नगरीय क्षेत्र में जलप्रदाय और मलवहन प्रणाली के प्रबंध के लिये जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड की स्थापना और निगमन और उससे संसक्त और आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(V) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2018

- (I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त(संशोधन) अध्यादेश,2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक- 1) के संबंध में परिनियत संकल्प

"यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रख्यापित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक- 1) को अस्वीकार करता है ।"

- (II) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्या-25)

"राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(VI) राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2018

- (I) श्री गजेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्या-29)

"राजस्थान वन अधिनियम, 1953 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

**दिनेश कुमार जैन
सचिव**

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 06 सितम्बर, 2018